पत्रांक–9A/राजस्व महा–अभियान 07–11/2025–.........488...(9A)/रा0,

ाति–महत्वपूर्ण

# बिहार सरकार
## राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

मोना झा,
उप निदेशक,
बिहार सर्वेक्षण कार्यालय।

ई–मेल

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

पटना–15, दिनांक–...27.02.26

विषय :– राजस्व महा–अभियान के दौरान डिजिटाइज्ड जमाबंदी में निहित त्रुटियों में सुधार की प्रक्रिया के संबंध में।

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक–2786(9A), दिनांक–29.07.2025 एवं पत्रांक–204(9A), दिनांक–21.01.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में कहना है कि भूमि संबंधी विवरण को अद्यतन करने एवं आम रैयतों/भू–धारियों को भूमि संबंधी हो रही कठिनाईयों के निवारण हेतु परिमार्जन/नामांतरण की कार्रवाई हेतु दिनांक–16.08.2025 से 20.09.2025 तक राजस्व महा–अभियान का आयोजन किया गया।

राजस्व महा–अभियान के तहत डिजिटाइज्ड जमाबंदी में त्रुटियों से संबंधित आवेदनों के निष्पादन हेतु पूर्व में "परिमार्जन प्लस" व्यवस्था लागू की गई थी। इस व्यवस्था में बदलाव करते हुये महा–अभियान में प्राप्त परिमार्जन आवेदनों को "RoR update" के अंतर्गत निष्पादित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, जिसका उद्देश्य अंचल अधिकारियों की कार्य प्रणाली को सरल एवं प्रभावी बनाने के साथ–साथ रैयतों/भू–धारियों के आवेदनों के निष्पादन में अधिक सुविधा प्रदान करना है। एतद् संबंधी user manual की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।

उल्लेखनीय है कि वर्त्तमान में डिजिटाईज्ड जमाबंदी में सुधार हेतु "परिमार्जन प्लस" की व्यवस्था लागू है, जिसमें रैयतों/भू–धारियों द्वारा किये गये आवेदन के आलोक में अपेक्षित सुधार राजस्व कर्मचारी/अंचल अधिकारी के स्तर से किया जा सकता है। इसके तहत आवेदनों को सिर्फ स्वीकृत/अस्वीकृत करने का विकल्प उपलब्ध है, जबकि "RoR Update" व्यवस्था के तहत सुनवाई के क्रम में अपेक्षित सुधार राजस्व कर्मचारी द्वारा किया जा सकता है।

अतः निदेशानुसार अनुरोध है कि राजस्व महा–अभियान के दौरान डिजिटाइज्ड जमाबंदी में निहित त्रुटियों में सुधार की प्रक्रिया में नई व्यवस्था लागू किये जाने के संबंध में संबंधित अंचल अधिकारियों को निदेशित करने की कृपा की जाए।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन
27/2/26
(मोना झा)
उप निदेशक।

5. **डाटा संपादन (Editing):** तैयार किए गए सभी ड्राफ्ट **"Draft Jamabandi List (For correction in Jamabandi)"** मेनू में उपलब्ध होंगे। सुधार हेतु संबंधित जमाबंदी के सामने **'View'** बटन पर क्लिक करें। यहाँ आपको तीन मुख्य खंड (Sections) प्राप्त होंगे:
   a. रैयत के नाम में सुधार।
   b. प्लॉट विवरण में सुधार।
   c. परिवर्तन का प्राधिकार एवं लगान अवशेष में सुधार।

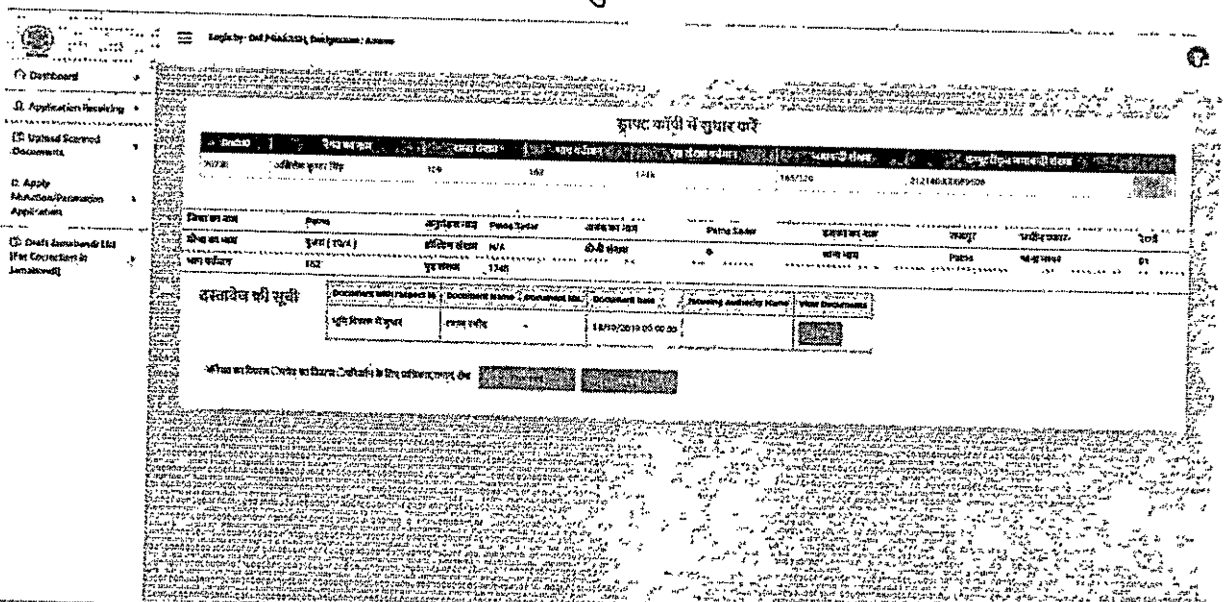


6. **सत्यापन एवं प्रेषण:** आवश्यक सुधार करने के पश्चात **"Save Draft Copy"** पर क्लिक करें। अंत में, सभी प्रविष्टियों की जांच कर आवेदन को अगले स्तर पर भेजने हेतु **"Forward to Karmachari"** बटन पर क्लिक करें।

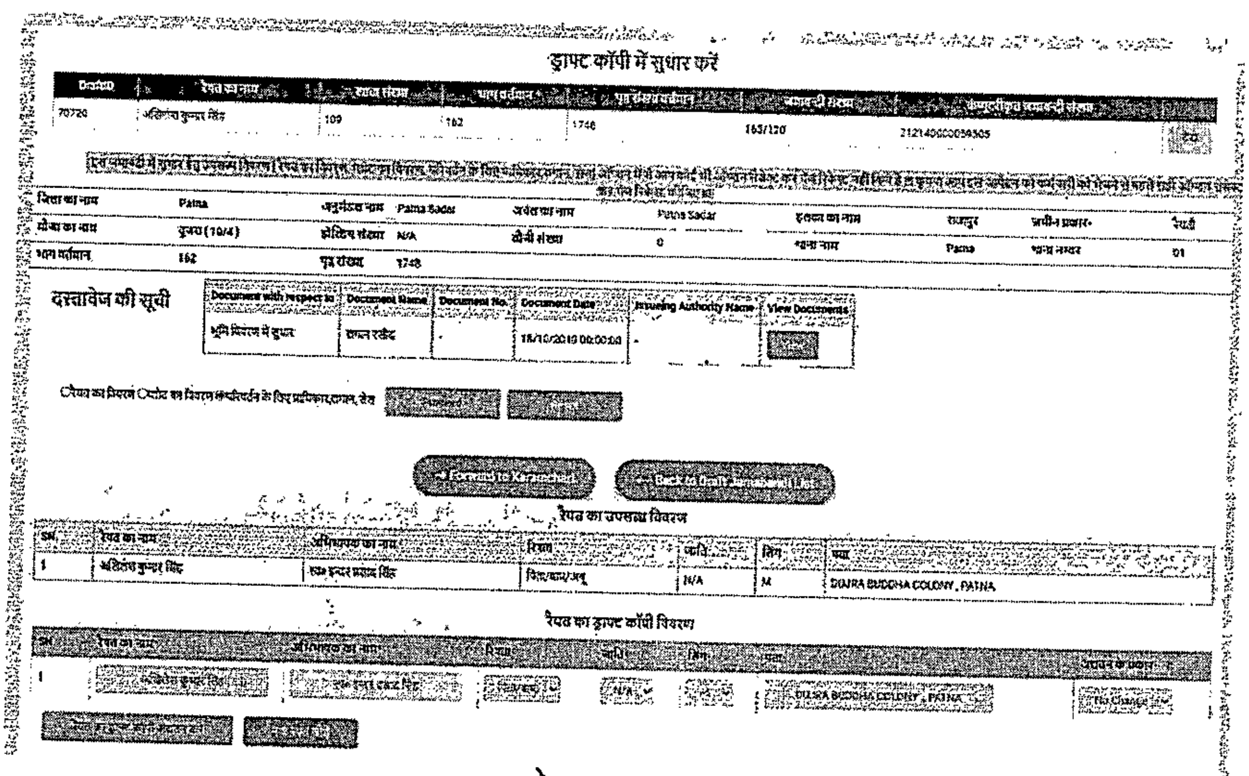

100

4. **जमाबंदी का चयन एवं ड्राफ्ट निर्माण:** संबंधित आवेदन के सम्मुख **"Apply New"** पर क्लिक करें। यहाँ अपलोड किए गए दस्तावेजों का अवलोकन कर संबंधित जमाबंदी का भाग वर्तमान (Volume No.) एवं पृष्ठ संख्या (Page No.) दर्ज कर **"Search Jamabandi"** पर क्लिक करें। विवरण सही होने पर **"Proceed"** बटन दबाएं, जिससे सुधार हेतु एक 'ड्राफ्ट' तैयार हो जाएगा।

**Prepare Draft Copy** ×

| Document with respect to | Document Name | Document No. | Document Date | Issueing Authority Name | View Documents |
|---|---|---|---|---|---|
| भूमि विवरण में सुधार | लगान रसीद | - | 18/10/2019 00:00:00 | - | View |

Volume No. : [ ] Page No. : [ ] [Search Jamabandi]

[Close]

**Prepare Draft Copy** ×

| Document with respect to | Document Name | Document No. | Document Date | Issueing Authority Name | View Documents |
|---|---|---|---|---|---|
| भूमि विवरण में सुधार | लगान रसीद | - | 18/10/2019 00:00:00 | - | View |

Volume No. : 162 Page No. : 1748 [Search Jamabandi]

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जिला का नाम | Patna | अनुमंडल नाम | Patna Sadar | अंचल का नाम | Patna Sadar | हलका का नाम | राजापुर | जमीन प्रकार- | रैयती |
| मौजा का नाम | दुजरा ( 10/4 ) | होल्डिंग संख्या | N/A | तौजी संख्या | 0 | थाना नाम | Patna | थाना नम्बर | 01 |
| भाग वर्तमान | 162 | पृष्ठ संख्या | 1748 | | | | | | |

रैयत का उपलब्ध विवरण

| रैयत का नाम | अभिभावक का नाम | लिंग | जाति | रिश्ता | पता |
|---|---|---|---|---|---|
| अखिलेश कुमार सिंह | स्व० इन्दर प्रसाद सिंह | M | N/A | पिता/बाप/अबू | DUJRA BUDDHA COLONY , PATNA |

प्लाट का उपलब्ध विवरण

| खाता नंबर | प्लॉट न. | निष्पादित क्षेत्र 1 | निष्पादित क्षेत्र1(Unit) | निष्पादित क्षेत्र2 | निष्पादित क्षेत्र2(Unit) | निष्पादित क्षेत्र3 | निष्पादित क्षेत्र3(Unit) | प्लोट स्थिती | लेन-देन प्रकार | प्लोट किस्म |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 137 | 0 | एकड़ | 7.5 | डिसमील | 0 | हेक्टर | Un Sold | Mutation | परती कदीम |

परिवर्तन के लिए प्राधिकार,लगान, सेस

| परिवर्तन के लिए प्राधिकार | लगान | सेस | केस न. | साल विक्री/खरीद | वर्ष सत्र |
|---|---|---|---|---|---|
| GR ID NO-20222802056336 | 10 | 0 | 0 | 0000 | 2018-2019 |

☑ If you want to edit this jamabandi, please tick the checkbox and click on proceed button.

[Proceed] [Reset]

Anand Shah 17/12

[Close]

## राजस्व महाअभियान कार्यक्रम के दौरान डिजिटाइज़्ड जमाबंदी के त्रुटियों के सुधार हेतु प्रक्रिया

राजस्व महाअभियान कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त सभी आवेदनों को स्कैन कर राजस्व महाअभियान पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है। इन आवेदनों के निष्पादन हेतु पूर्व में "परिमार्जन प्लस" व्यवस्था लागू थी। अब उक्त व्यवस्था को प्रतिस्थापित करते हुए "RoR अपडेट" व्यवस्था के अंतर्गत निष्पादन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य अंचलाधिकारियों को रैयतों के आवेदनों के निष्पादन में अधिक सुविधा प्रदान करना तथा कार्यप्रणाली को सरल एवं प्रभावी बनाना है।

### डिजिटाइज़्ड जमाबंदी के त्रुटियों के सुधार हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया

1. **राजस्व महाअभियान पोर्टल: अमीन लॉगिन के माध्यम से जमाबंदी सुधार की कार्यप्रक्रिया**
2. **लॉगिन प्रक्रिया:** राजस्व महाअभियान पोर्टल पर "अमीन" (Ameen) रोल के क्रेडेंशियल से लॉगिन करें। सुधार की प्रक्रिया आरंभ करने हेतु **"Apply Parimarjan/ Mutation Application"** विकल्प का चयन करें।

3. **आवेदन की खोज:** संबंधित जिला, अंचल, हल्का, मौजा एवं वांछित सेवा का चयन कर **'Search'** बटन पर क्लिक करें। स्क्रीन पर डिजिटाइज्ड जमाबंदी में सुधार हेतु प्राप्त आवेदनों की सूची प्रदर्शित होगी।

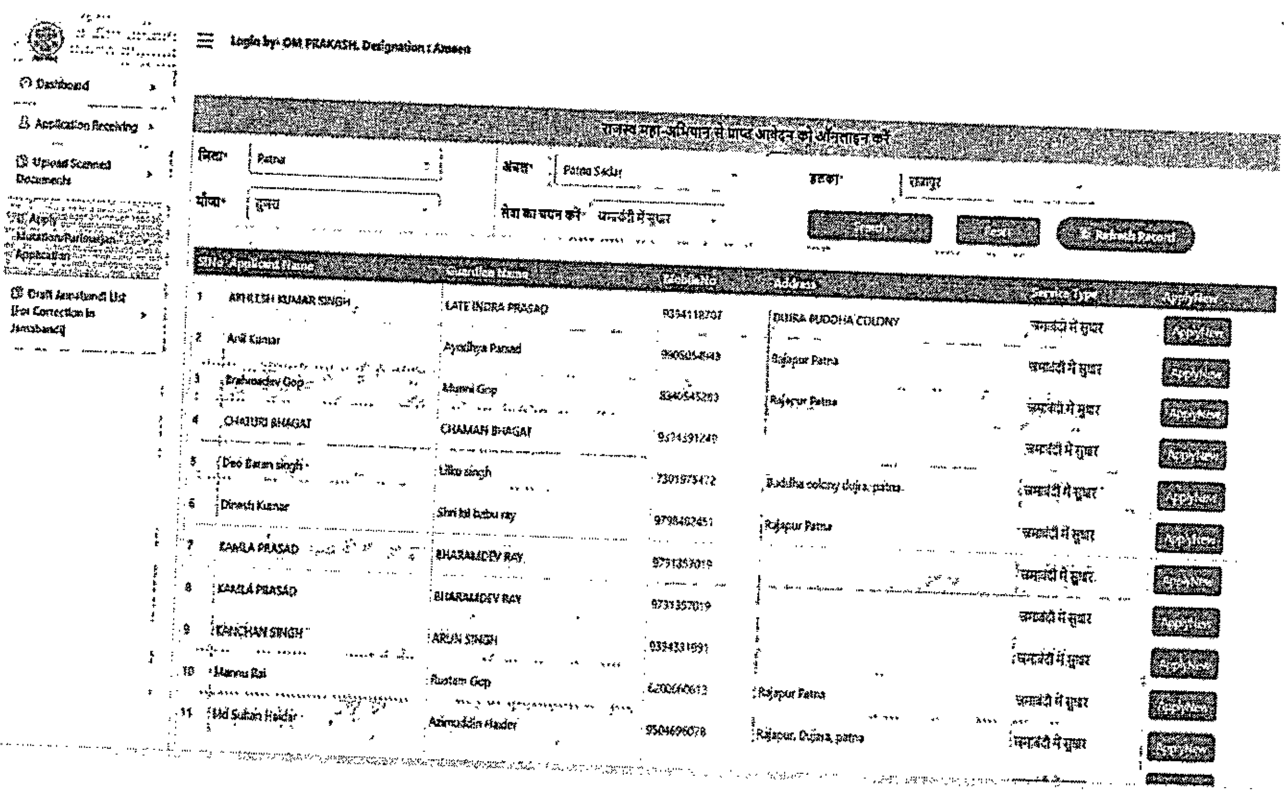

98

## डिजिटाइज़्ड जमाबंदी के त्रुटियों के सुधार हेतु आवेदन की निष्पादन की प्रक्रिया

राजस्व महाअभियान के तहत डिजिटाइज़्ड जमाबंदी की त्रुटियों के सुधार हेतु प्रक्रिया को और सुगम बनाया गया है। अब राजस्व कर्मचारी के लॉगिन में **"Correction in Jamabandi"** मेनू के अंतर्गत **"Lock Draft"** सब-मेनू पर क्लिक करने पर दो खंड (Sections) प्रदर्शित होंगे:

1. **सेल्फ (Self):** इसमें ROR Updation के तहत राजस्व कर्मचारी द्वारा स्वयं शुरू (initiate) किए गए मामले दिखेंगे।

2. **राजस्व महाअभियान:** इसमें अमीन द्वारा अग्रसारित (Forward) किए गए सुधार के आवेदन दिखाई देंगे।

**नोट:** राजस्व महाअभियान सेक्शन में प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की प्रक्रिया वही रहेगी जो वर्तमान में 'सेल्फ मोड' के आवेदनों के लिए निर्धारित है। सभी राजस्व कर्मचारी एवं अंचलाधिकारी तदनुसार त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करें।

Anand Shel 17/2

**-धन्यवाद-**

पत्रांक–9A/राजस्व महा–अभियान 07–11/2025–......................(9A)/रा0,

ति–महत्वपूर्ण

# बिहार सरकार
## राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

मोना झा,
उप निदेशक,
बिहार सर्वेक्षण कार्यालय।

ई–मेल

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

पटना–15, दिनांक–.............................

विषय :– राजस्व महा–अभियान के दौरान डिजिटाइज्ड जमाबंदी में निहित त्रुटियों में सुधार की प्रक्रिया के संबंध में।

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक–2786(9A), दिनांक–29.07.2025 एवं पत्रांक–204(9A), दिनांक–21.01.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में कहना है कि भूमि संबंधी विवरण को अद्यतन करने एवं आम रैयतों/भू–धारियों को भूमि संबंधी हो रही कठिनाईयों के निवारण हेतु परिमार्जन/नामांतरण की कार्रवाई हेतु दिनांक–16.08.2025 से 20.09.2025 तक राजस्व महा–अभियान का आयोजन किया गया।

राजस्व महा–अभियान के तहत डिजिटाइज्ड जमाबंदी में त्रुटियों से संबंधित आवेदनों के निष्पादन हेतु पूर्व में "परिमार्जन प्लस" व्यवस्था लागू की गई थी। इस व्यवस्था में बदलाव करते हुये महा–अभियान में प्राप्त परिमार्जन आवेदनों को "RoR update" के अंतर्गत निष्पादित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, जिसका उद्देश्य अंचल अधिकारियों की कार्य प्रणाली को सरल एवं प्रभावी बनाने के साथ–साथ रैयतों/भू–धारियों के आवेदनों के निष्पादन में अधिक सुविधा प्रदान करना है। एतद् संबंधी user manual की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।

उल्लेखनीय है कि वर्त्तमान में डिजिटाईज्ड जमाबंदी में सुधार हेतु "परिमार्जन प्लस" की व्यवस्था लागू है, जिसमें रैयतों/भू–धारियों द्वारा किये गये आवेदन के आलोक में अपेक्षित सुधार राजस्व कर्मचारी/अंचल अधिकारी के स्तर से किया जा सकता है। इसके तहत आवेदनों को सिर्फ स्वीकृत/अस्वीकृत करने का विकल्प उपलब्ध है, जबकि "RoR Update" व्यवस्था के तहत सुनवाई के क्रम में अपेक्षित सुधार राजस्व कर्मचारी द्वारा किया जा सकता है।

अतः निदेशानुसार अनुरोध है कि राजस्व महा–अभियान के दौरान डिजिटाइज्ड जमाबंदी में निहित त्रुटियों में सुधार की प्रक्रियां में नई व्यवस्था लागू किये जाने के संबंध में संबंधित अंचल अधिकारियों को निदेशित करने की कृपा की जाए।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह0/–
(मोना झा)
उप निदेशक।

ज्ञापांकः–9A/राजस्व महा–अभियान 07–11/2025–488(9A)/रा0, पटना–15, दिनांक– 27.02.26

प्रतिलिपिः– सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी, बन्दोबस्त पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता/सभी अंचल अधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(मोना झा)
उप निदेशक।

पत्रांक–9A/सै0–विविध (सरकारी भूमि)–64/2023–................................(9A)/रा0,

# बिहार सरकार
## राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

मोना झा,
उप निदेशक,
बिहार सर्वेक्षण कार्यालय।

ई–मेल

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

पटना–15, दिनांक–............................

विषय :– सरकारी भूमि से आच्छादित जमाबंदियों को चिन्हित कर प्रदर्शित करने के संबंध में।

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक–2996(9), दिनांक–05.10.2023, पत्रांक–3585(9), दिनांक–05.12.2023 एवं पत्रांक–2821(9), दिनांक–01.10.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध मे कहना है कि जिलान्तर्गत अवस्थित सभी तरह की सरकारी भूमि (खतियान के अनुसार) की ऑनलाइन Entry की गयी है तथा सरकारी भूमि के सत्यापन (Verification) हेतु विभाग द्वारा बिहारभूमि अंतर्गत ई–जमाबंदी मॉड्यूल में आवश्यक प्रावधान किये गये हैं।

खतियान एवं सरकारी भूमि पंजी के आधार पर दर्ज प्रविष्टि और सत्यापन कार्य पर आधारित विभिन्न राजस्व ग्रामों की सरकारी भूमि वाली जमाबंदियों को चिन्हित कर इसकी सूची अंचल अधिकारी के लॉगिन में प्रदर्शित की गयी है। लॉगिन में अंचलों द्वारा Entered एवं Verified सरकारी भूमि पंजी (खतियान/पंजी) को आधार बनाकर उन सभी जमाबंदियों को चिन्हित किया गया है जिनमें सरकारी भूमि पंजी में दर्ज खेसरा मौजूद हैं।

**सरकारी भूमि से संबंधित जमाबंदियों की सूची देखने की प्रक्रिया निम्नवत् है :–**

i. अंचल अधिकारी बिहारभूमि पोर्टल पर e–Jamabandi मॉड्यूल में लॉगिन करेंगे।

ii. लॉगिन के बाद "Reporting" मेनू में जाकर "Search Govt Land Jamabandi" विकल्प पर क्लिक करेंगे।

iii. अब जिला, अंचल, हल्का, मौजा तथा वर्तमान में चल रहे जमाबंदी का आधार का चयन करेंगे।

iv. तदोपरान्त "Search" बटन पर क्लिक करेंगे।

v. स्क्रीन पर उस राजस्व ग्राम (मौजा) की सभी ऐसी जमाबंदियों की सूची प्रदर्शित हो जाएगी, जिनमें सरकारी भूमि पंजी में दर्ज खेसरा शामिल है।

अतएव अनुरोध है कि विभागीय पोर्टल में किये गये उक्त प्रावधानों से अधीनस्थ अंचल अधिकारियों को निदेशित करने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

ह०/–
(मोना झा),
उप निदेशक।

ई–मेल

ज्ञापांक:–9A/सै0–विविध (सरकारी भूमि)–64/2023–.......487.......(9A)/रा0 दिनांक.......27.02.26...

प्रतिलिपि:– सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी अपर समाहर्त्ता/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/सभी अंचल अधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(मोना झा),
उप निदेशक।